

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस

क रीडर/2024/5014

दिनांक - 20/8/24

प्रार्थी  
गजू पत्नी रामाराम  
जाति जाट निवासी  
रूगाणियों का तला,  
भीमड़ा तहसील बायतु  
(वर्तमान तहसील बाटाडू)  
व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 किसनाराम पु गुमनाराम 2 भूराराम पुत्र जेठाराम 3  
मूलाराम पुत्र गुमनाराम 4 रूपो पत्नी जेठाराम 5 सरूपाराम  
पुत्र जेठाराम 6 उमाशंकर पुत्र नारणाराम 7 गवरी देवी पत्नी  
नारणाराम 8 पुरखाराम 9 भोमाराम 10 राजूराम पिसरान  
नारणाराम 11 हडमानराम पुत्र लाखाराम 12 धुड़ाराम पुत्र  
रतनाराम 13 नेनाराम पुत्र मुलाराम 14 उमाराम पुत्र  
भीखाराम 15 चेनाराम पुत्र धर्मराम 16 नवली पत्नी  
भीखाराम 17 मगाराम पुत्र भीखाराम 18 मोतीराम पुत्र  
मूलाराम जाति जाट निवासी रूगाणियों का तला, भीमड़ा  
तहसील बायतु (वर्तमान तहसील बाटाडू) व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 239/2024

दिनांक- 14/08/24

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रूगाणियों का तला पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर  
के खेत खसरा संख्या 446 रकबा 1.1650 हैक्टेयर, खसरा संख्या 575/466 रकबा 2.2733 हैक्टेयर व  
खसरा संख्या 583/512 रकबा 2.7911 हैक्टेयर व खसरा संख्या 586/516 रकबा 4.5304 हैक्टेयर भूमि के  
चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत  
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की  
जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदर सिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 20/8/24

क्रमांक :- रीडर/2024/5015 to 5018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

7. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
8. पटवारी भीमड़ा तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
9. प्रार्थी गजू पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी भीमड़ा तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।
6. विप्रार्थी किसनाराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी भीमड़ा तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर  
